


सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत श्री आलोक कुमार के आवेदन पत्र दिनांक 21.10.13 के सम्बन्ध में वांछित सूचना निम्न प्रकार है :-

- बिन्दु सं0 1: वांछित सूचना भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 एवं गाजियाबाद महायोजना-2021 से प्राप्त की जा सकती है, जिसकी प्रति किसी भी कार्यदिवस में निर्धारित शुल्क प्राधिकरण कोष में जमा कराकर प्राप्त की जा सकती है।
- बिन्दु सं0 2: ग्रुप हाउसिंग में निर्मित कन्विनिएंट शोप ग्रुप हाउसिंग परिसर के अन्दर होनी चाहिए।
- बिन्दु सं0 3: 15 वर्ग मी0 के आधार पर कन्विनिएंट एरिया (कामर्शियल एरिया) की गणना की जाती है।
- बिन्दु सं0 4: वांछित सूचना भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 यथासंशोधित से प्राप्त की जा सकती है, जिसकी प्रति किसी भी कार्यदिवस में निर्धारित शुल्क प्राधिकरण कोष में जमा कराकर प्राप्त की जा सकती है।
- बिन्दु सं0 5: बिन्दु सं0 4 के अनुसार।


(एस.एस. रावत)
मानचित्रक